

तारीख व
हुकम

प्रकरण 11/17

हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

देवापुरन ब्लॉक रा. 42/412

व. नं.
जो नं.
तामिल नं.

11/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील जी की उपस्थिति में पत्रावली पेश की गई। दिनांक 03/12/25 को पेश हो।

01/12/25

पीछरीन अधिकारी अवकाश/राज्यो कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
अन्ता

28/11/25

अन्ता द्वारा न्यायिक कार्य को बाधकार करने से पत्रावली दिनांक 14/11/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी अन्ता

12/5/25

पत्रावली साफ कोर्ट के मध्य ही करीब में प्रस्तुत हुआ। देखा जा रहा है कि कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। धारा 186 CrP Act में केवल सिविलीय अडवोकेट ही जा सकती है, सिविलीय कोर्ट के अधिकारों का संचालन नहीं किया जा सकता है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्दिष्ट RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय की प्रस्तुत है निर्दिष्ट RRT

(अजिना सहरावती)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला वारा (राजो)

ब ता 0
जो इस हुक्म की
तामील में जारी हुए।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
ब ता 0 अहकाम
जो इस हुक्म की
तामील में जारी हुए।

2022(2) Part 1864 में धीमती
सिद्धांत अधिनियम द्वारा डि LR Act
की धारा 126 में धीमती की प्रकार
के अधिकारों का सफा नही किया
जा सकता है। इसलिए हस्तगत
प्रार्थना पर खारिज किया जाना है
और धर्ती को सलाह दी जाती है
कि वह निम्नलिखित बात में आवे
सुविधा की दृष्टि से धर्ती निम्नलिखित
बात में एक पत्रावली को जल्दी
जमा करेगा।

निर्दिष्ट सारे शब्दास प्रकृत
हुनामा जमा। पत्रावली के साथ
शुभाल होकर नम्बर के साथ है।

(अंजना सहरावत)
सपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारा (राज 0)